Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 13, Issue 2 | November 2025 - April 2026 | pp. 107-111

राजस्थान में किन्नर समुदाय की शैक्षिक स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. श्योराज सिंह गुर्जर

ग्राम बाढ सोहन, पोस्ट फुलवाड़ा, तहसील बाढ सोहन, सवाईमाधोपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य राजस्थान में किन्नरों की शैक्षिक स्थिति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना तथा उन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संस्थागत कारकों की पहचान करना है, जो उनकी शिक्षा तक पहुँच और निरंतरता को प्रभावित करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में गुणात्मक शोध पद्धति को अपनाया गया है। प्राथमिक आँकड़ों के संकलन हेतु राजस्थान के 11 किन्नर व्यक्तियों के साथ अर्ध-संरचित साक्षात्कार किए गए। इन साक्षात्कारों के माध्यम से प्रतिभागियों के शैक्षिक अनुभवों, शिक्षा छोड़ने के कारणों, सामाजिक व्यवहारों, संस्थागत वातावरण तथा शिक्षा का उनके जीवन और सामाजिक समावेशन पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया गया। सामाजिक उपेक्षा, भेदभावपूर्ण व्यवहार, सहायक नीतियों की अनुपस्थिति तथा शिक्षण संस्थानों में असुरक्षित वातावरण किन्नर विद्यार्थियों की शिक्षा में प्रमुख बाधक तत्व हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक कलंक, पारिवारिक अस्वीकृति और आर्थिक अस्थिरता भी उनकी शैक्षिक निरंतरता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। शोध-पत्र में किन्नरों की शैक्षिक स्थिति में सुधार हेतु समावेशी शैक्षिक नीतियों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है। अध्ययन में भेदभाव-निरोधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, जेंडर-न्यूट्रल सुविधाओं की उपलब्धता, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण तथा सहायक शैक्षणिक वातावरण के निर्माण जैसी अनुशंसाएँ प्रस्तुत की गई हैं। यह अध्ययन शिक्षा में समानता, सामाजिक न्याय तथा किन्नर व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित विमर्श को सशक्त बनाते हुए राजस्थान में किन्नर समुदाय के सामाजिक समावेशन एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

संकेताक्षर—*किन्नर, शैक्षिक स्थिति, सामाजिक बाधाएँ, सामाजिक कलंक, सार्वजनिक नीति*

प्रस्तावना

शिक्षा ज्ञान, कुशलता व आदर्श मूल्यों का विकास करते हुए व्यक्ति को स्वनिर्भर, विश्वासी और आदर्श नागरिक बनाती है एवं बेहतर निर्णय ले पाने की क्षमता पैदा करती है। यह उज्ज्वल भविष्य हेतु पथ प्रदर्शक का काम करती है, आर्थिक और सामाजिक स्थायित्व प्रदान है और अच्छे-बुरे के मध्य भेद करने की सोच विकसित करती है। समाज में एकरूपता लाने एवं किसी भी व्यक्ति, देश या राज्य के समुचित और स्थायी विकास हेतु शिक्षा ही मजबूत नींव है। शिक्षा रोजगार के बेहतरीन अवसर प्रदान कर व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। साथ ही शिक्षा समाज में फैली कुरीतियों एवं सामाजिक और लैंगिक भेदभाव को खत्म करते हुए व्यक्ति को जागरुक बनाने में अहम भूमिका निभाती है।

शिक्षा किसी भी समाज के समग्र विकास की आधारशिला होती है। यह न केवल व्यक्ति के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करती है, बल्कि उसे सामाजिक चेतना, आत्मसम्मान और अधिकारों के प्रति जागरुक भी बनाती है। भारतीय समाज में शिक्षा तक पहुँच समान नहीं रही है। जाति, वर्ग, लिंग और लैंगिक पहचान जैसे कारकों ने शिक्षा की उपलब्धता को प्रभावित किया है। किन्नर समुदाय, जिसे ट्रांसजेंडर या तृतीय लिंग के रूप में भी

जाना जाता है, भारतीय सामाजिक संरचना में एक ऐसा वर्ग है जो ऐतिहासिक रूप से उपेक्षा और बहिष्करण का शिकार रहा है।

राजस्थान जैसे परंपरागत और पितृसत्तात्मक समाज में किन्नर समुदाय को सामाजिक स्वीकृति अत्यन्त सीमित रूप में प्राप्त है। पारंपरिक मान्यताओं, रूढ़िवादी सोच और लैंगिक द्वैत की अवधारणा के कारण किन्नर समुदाय को सामान्य सामाजिक जीवन से अलग कर दिया गया है। इसका सीधा प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ा है। अधिकांश किन्नर बचपन या किशोरावस्था में ही विद्यालय छोड़ने को विवश हो जाते हैं। यह अध्ययन राजस्थान में किन्नर समुदाय की शैक्षिक स्थिति को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है।

साहित्य समीक्षा

किन्नर समुदाय की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति पर विभिन्न विद्वानों, सामाजिक संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा अध्ययन किए गए हैं। सेरेना नंदा ने अपने अध्ययन में किन्नरों को एक ऐसा समुदाय बताया है जिसे सांस्कृतिक रूप से तो पहचाना गया, लेकिन सामाजिक और शैक्षिक रूप से हाशिए पर रखा गया। यूएनडीपी की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि भारत में किन्नर समुदाय की साक्षरता दर अत्यन्त निम्न है और अधिकांश किन्नर प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते।

अन्य अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि विद्यालयों में किन्नर बच्चों को उपहास, मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे शिक्षा छोड़ देते हैं। अधिकांश शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किन्नर समुदाय की स्थिति सामाजिक भेदभाव, पारिवारिक अस्वीकृति और संस्थागत उदासीनता का परिणाम है। हालांकि राजस्थान विशेष पर केंद्रित समाजशास्त्रीय अध्ययन अपेक्षाकृत कम हैं, जिससे यह विषय और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

भारत सरकार की शिक्षा नीति 2020 में किन्नर/ट्रांसजेंडर छात्रो के लिए समान शिक्षा के प्रावधान एवं शिक्षकों, अन्य छात्रों व अभिभावकों के लिए किन्नरों छात्रों के साथ सामान व्यवहार करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

किन्नर शिक्षा के बारे में हिन्दी लेखक कौशलेंद्र प्रपन्न ले अपने एक आलेख "तृतीयपंथी यानी किन्नरों की शिक्षा" में इस समुदाय की शिक्षा का विवरण किया है। उन्होंने कहा कि किन्नर समुदाय अपने हक की मांग करने लगे है इसका एक उदाहरण मध्यप्रदेश में हुए महाकुंभ में शाही स्नान करने हेतु किन्नरों के मठ निर्माण का दिया है। वे कहते हैं कि शिक्षा भी समाज को ताकत एवं क्षमता प्रदान करती है इससे किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रपन्न कहते हैं कि अगर किन्नर समुदाय के लोगों को भी शिक्षा रूपी हथियार मिल जाये तो सभी किन्नर एवं किन्नर समुदाय को अन्य समाज की तरह रोशन होने से कोई नहीं रोक सकता।

प्रपन्न ने किन्नर समुदाय के लोगों को तृतीयपंथी, उभयलिंगी, हिजड़ा, यूनक, किन्नर, खोजवा, मौगा, छक्का, पवैया, खुस्त्रा, जनखा, शिरूरनान गाई, अरावनी नामों से संबोधित करते हुए डर, भय एवं उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने वाला समुदाय बताया है। किन्नर समुदाय के लोगों की शिक्षा के बारे में प्रपन्न बताते हैं कि देश में किन्नरों की शिक्षा को लेकर सभी समितियां, अनुशंसाएँ और योजनाएँ उदासीन रही है। यहां तक कि स्वतंत्रता के बाद गठित आयोग कमेटी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखें तो इनके कागजातों और अनुशंसाओं में किन्नरों की शिक्षा के कोई खास प्रावधानों के बारे में चर्चा नहीं की गयी है। बाल अधिकार अधिनियम, कानून एवं सम्मेलनों में किन्नर बच्चों का मुद्दा कभी भी चर्चा में नहीं रखा गया है।

"कई बार शिक्षा की ओर बहुत उम्मीद से ताकता हूं कि क्या कहीं किसी नीति या फिर पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक में इनके भूगोल, इतिहास, संस्कृति, समाज के बारे में कोई मुक्कमल परिचय दिया जाता है। लेकिन बेहद निराशा ही मिलती है। कोई भी पाठ्यपुस्तक कोई भी पाठ्यक्रम इनके भूगोल और मानचित्र से हमारी पहचान नहीं कराते। यही वजह है कि बच्चे समाज के तमाम वर्गों के लोगों, हमारे मददगार नाई, मोची, डॉक्टर, मास्टर, आदि के बारे में प्राथमिक कक्षाओं में परिचित हो जाते हैं, लेकिन हमारे ही समाज में जीने वाले किन्नरों के बारे में न तो कोई बात बताई जाती है और न ही कोई जानकारी के तौर पर एक दो वाक्य खर्च किए जाते हैं। यह किस मानसिकता की ओर इशारा करता है इसे भी समझने की आवश्यकता है। दरअसल हमारा पूरा सामाजिकरण लड़का और लड़की, स्त्री और पुरुष के तौर पर ही होता है। यहां किन्नरों यानी तृतीयपंथी के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। समाज में विभिन्न नामों से इन्हें पुकारते जरूर है छक्का, मौगा, हिजड़ा, खोजवा

आदि। लेकिन इनकी प्रकृति और समाज हमारे मुख्य समाज से कैसे अलग पहचान रखने लगा इसके बारे में हमारा इतिहास, भूगोल, शिक्षा शास्त्र सब के सब खामोश ही रहते हैं।" (प्रपन्न कौशलेंद्र, 2016)

अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में किन्नर समुदाय की शैक्षिक स्थिति का विस्तृत समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत यह समझने का प्रयास किया गया है कि किन्नर समुदाय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करता है। साथ ही यह अध्ययन उन सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों की पहचान करता है जो किन्नर समुदाय को शिक्षा से दूर रखते हैं। इसके अतिरिक्त, शोध का उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों और योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना तथा शिक्षा को सामाजिक समावेशन और सशक्तिकरण के साधन के रूप में स्थापित करना है।

राजस्थान में किन्नर समुदाय की शैक्षिक स्थिति

राजस्थान में किन्नर समुदाय की शैक्षिक स्थिति अत्यन्त दयनीय पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार किन्नर समुदाय की साक्षरता दर सामान्य जनसंख्या की तुलना में काफी कम है। अधिकांश किन्नर या तो निरक्षर हैं या केवल प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित हैं। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी नगण्य है।

विद्यालय स्तर पर किन्नर विद्यार्थियों को भेदभाव, उपहास और सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है। शिक्षक और सहपाठी अक्सर उनकी लैंगिक पहचान को स्वीकार नहीं करते, जिससे उनके आत्मसम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उच्च शिक्षा में प्रवेश के दौरान पहचान से जुड़ी समस्याएँ, आर्थिक तंगी और छात्रवृत्तियों की जानकारी का अभाव उनकी शैक्षिक प्रगति में बड़ी बाधा बनता है।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किन्नर समुदाय की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर (74.04) के मुकाबले लगभग 56.1 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत दर से बहुत कम है। इसी प्रकार राजस्थान में किन्नर समुदाय की साक्षरता दर लगभग 48.34 प्रतिशत है। किन्नर साक्षरता के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाये तो भारत के कुल राज्यों में राजस्थान का 28वां स्थान है जो कि राजस्थान की दयनीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। किन्नर साक्षरता में राजस्थान अपने अन्य पड़ोसी राज्यों से भी पीछे है। जैसे-उत्तर प्रदेश (55.80 प्रतिशत), मध्यप्रदेश (53.01 प्रतिशत), गुजरात, दिल्ली, हरियाणा लगभग 62 प्रतिशत है। सबसे अधिक किन्नर साक्षरता दर मिजोरम (87.14), केरल (84.61) व सबसे कम झारखण्ड (47.58), बिहार (44.35) में है।

स्कूल और कॉलेज स्तर पर किन्नर छात्रों के नामांकन की स्थिति भी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर दयनीय है। हालाँकि राष्ट्रीय स्तर पर नामांकन के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आते है।

स्तर	2021-22	2022-23	2023-24
स्कूल (भारत)	155	880	965
स्कूल (राजस्थान)	107	88	77
कॉलेज (भारत)	302	877	1,448
कॉलेज (राजस्थान)	26	34	101

स्रोत : एआईएसएचई (2024)

शोध-पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में गुणात्मक शोध पद्धति को अपनाया गया है। प्राथमिक आँकड़ों के संकलन हेतु राजस्थान के 11 किन्नर व्यक्तियों के साथ अर्ध-संरचित साक्षात्कार किए गए। ताकि व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किन्नर समुदाय की शैक्षिक स्थिति को समझा जा सके। इन साक्षात्कारों के माध्यम से प्रतिभागियों के शैक्षिक अनुभवों, शिक्षा छोड़ने के कारणों, सामाजिक व्यवहारों, संस्थागत वातावरण तथा शिक्षा का उनके जीवन और सामाजिक समावेशन पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि किन्नर व्यक्तियों की शैक्षिक उपलब्धि सामान्यतः निम्न स्तर की है तथा विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा छोड़ने की दर अपेक्षाकृत अधिक पाई गई। आँकड़ों के विश्लेषण में सामाजिक बहिष्करण, संरचनात्मक असमानता, जेंडर पहचान और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है, जिससे समस्या की गहराई तक पहुँचा जा सके।

सरकारी नीतियाँ एवं योजनाएँ

भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने किन्नर समुदाय के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा 2014 में किन्नरों को तृतीय लिंग के रूप में मान्यता दी गई, जो एक ऐतिहासिक निर्णय था। इसके बाद ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 लागू किया गया, जिसमें शिक्षा में समान अवसर की बात कही गई है।

राजस्थान में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन मुख्य रूप से 2020-2021 के दौरान किया गया था। इस बोर्ड का गठन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत किया गया है।

राजस्थान सरकार ने भी स्कूल प्रवेश फॉर्म में ट्रांसजेंडर श्रेणी शामिल की है और आरक्षण व छात्रवृत्ति योजनाएँ प्रारंभ की हैं। हालांकि जागरूकता एवं आसान उपब्धता के अभाव के कारण इन योजनाओं का वास्तविक लाभ बहुत कम लोगों तक पहुँच पा रहा है, क्योंकि क्रियान्वयन में गंभीर कमियाँ हैं।

भारत की नयी शिक्षा नीति 2020 में भी किन्नर समुदाय के छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किये गए हैं। जैसे लिंग समावेशी शिक्षा के लिए लिंग समावेशी कोष बनाना, साक्षरता और भागीदारी के लिए समर्थन, "NISHTHA" जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों के प्रशिक्षण में संवेदनशीलता लाना, सम्पूर्ण समावेशक वातावरण पैदा करना। अर्थात सरल अर्थ में बात की जाये तो सामान्य बच्चों की तरह स्कूल/कॉलेज में प्रवेश पा सकें, शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक या सामाजिक बाधाओं से मुक्त हो, शिक्षकों और सिस्टम से सम्मानजनक और सुरक्षित अनुभव महसूस करें, लिंग समावेशी सुविधाओं और सहायक कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकें।

सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक बाधाएँ

किन्नर समुदाय की शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा सामाजिक कलंक है। समाज में उन्हें असामान्य या विचलित मानकर देखा जाता है, जिससे उन्हें अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह मानसिक दबाव शिक्षा जारी रखने में बड़ी रुकावट बनता है।

परिवार की भूमिका भी अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है, किंतु अधिकांश किन्नर बच्चों को परिवार से सहयोग नहीं मिलता। किशोरावस्था में ही उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे उनकी शिक्षा अचानक समाप्त हो जाती है। आर्थिक दृष्टि से भी किन्नर समुदाय अत्यन्त कमजोर है। शिक्षा के अभाव में उन्हें पारंपरिक और असुरक्षित आजीविका के साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे गरीबी और अशिक्षा का चक्र बना रहता है।

समाजशास्त्रीय विश्लेषण

समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो किन्नर समुदाय का शैक्षिक बहिष्करण सामाजिक संरचना में व्याप्त असमानता का परिणाम है। संघर्ष सिद्धांत के अनुसार प्रभुत्वशाली वर्ग अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए हाशिए के समुदायों को संसाधनों से दूर रखता है, जिसमें शिक्षा प्रमुख है। वहीं प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से शिक्षा समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक है और किसी समुदाय को शिक्षा से वंचित करना पूरे समाज के संतुलन को प्रभावित करता है।

इस प्रकार शिक्षा किन्नर समुदाय के लिए केवल ज्ञान का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और समानता प्राप्त करने का माध्यम है।

सुझाव

किन्नर समुदाय की शिक्षा में सुधार करते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में अनेक चुनौतियाँ है, जैसे—सामाजिक और पारिवारिक अस्वीकृति, भेदभाव, शारीरिक और मानसिक शोषण, नीचे तबके के लोगों के सामने आर्थिक परिस्थिति आदि। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए समाज और सरकार को मिलकर प्रयास करने होंगे। साथ ही किन्नर समुदाय में मौजूद जिम्मेदार लोगों को भी स्वहित छोड़कर समाज की मुख्य धारा में आने के प्रयास करने होंगे। आम लोगों में व्याप्त नकारात्मक छवि को सुधारने के लिए जागरूकता लाने के प्रयास करने होंगे। जब तक आम लोगों की सोच में बदलाव नहीं होगा तब तक सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन सही मायने में नहीं हो पायेगा।

निष्कर्ष

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में किन्नर समुदाय की सामाजिक, आर्थिक स्थिति के साथ ही शैक्षिक स्थिति भी अत्यन्त दयनीय अवस्था में है। सामाजिक भेदभाव, पारिवारिक अस्वीकृति, शिक्षण संस्थानों में सहपाठियों के ताने और

शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना तथा जिम्मेदारों का गलत रवैया एवं आर्थिक स्थिति का कमजोर होना उच्च शिक्षा में किन्नर बच्चों की शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा हैं। इसी कारण किन्नर बच्चे बीच में ही शिक्षा छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। सरकारी नीतियाँ मौजूद हैं, किंतु उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। शिक्षा के अभाव में किन्नर समुदाय गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक बहिष्करण के चक्र में फँसा रहता है। सरकारें नीतियाँ तो बनाती है परन्तु किन्नर समुदाय का सरकारों के निर्माण में नगण्य योगदान होने के कारण उन नीतियों का दृढ़ता से क्रियान्वयन करने में किसी भी सरकार की रूचि नहीं रही है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में किन्नर समुदाय की शैक्षिक स्थिति सामाजिक असमानता और संस्थागत उपेक्षा का प्रत्यक्ष उदाहरण है। केवल कानूनी मान्यता और योजनाएँ पर्याप्त नहीं हैं। जब तक समाज की सोच में परिवर्तन नहीं होगा, शिक्षा संस्थानों को समावेशी नहीं बनाया जाएगा और नीतियों को ईमानदारी से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक किन्नर समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में पीछे ही रहेगा। शिक्षा ही वह माध्यम है जो किन्नर समुदाय ही नहीं देश और राज्य के किसी भी समुदाय को सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय दिला सकता है एवं अपने कौशल और क्षमता को प्रकट करने का आधार प्रदान कर सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. नंदा, एस., नर और नारी के बीच : भारत के हिजड़ा, वाड्सवर्थ पब्लिकेशन कम्पनी, बेलमोन्ट कैलीफोर्निया, 1999
2. भारत सरकार, भारत की जनगणना, नई दिल्ली, 2011
3. चक्रपाणी, वी., ट्रांसजेंडर और शिक्षा, सामाजिक अध्ययन पत्रिका, 2018
4. यूएनडीपी, भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय, 2010
5. भारत सरकार, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2019
6. सर्वोच्च न्यायालय, नालसा बनाम भारत सरकार, नई दिल्ली, 2014
7. ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर ऐज्यूकेशन रिपोर्ट, 2024
8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारत सरकार, 2020
9. नियाज, शगुफ्ता, ट्रांसजेंडर : दर्द की दास्तान, विकास प्रकाशन, कोलकाता, 2023
10. प्रपन्न, कौशलेन्द्र, तृतीय पंथी यानी किन्नरों की शिक्षा, मातृभारती, अहमदाबाद, 2016 एचटीटीपीएसः//हिंदी डॉट मातृभारती डॉट कॉम/बुक/6094/त्रुटिपंथी-यानी-किन्नरों-की-शिक्षा-बाई-कौशलेन्द्र-प्रपन्न